<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।</u>

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–234 सन् 2026

<u>सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.010007242026</u>

1. संदीप कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष

2. संतोष कुमार गुप्ता उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्रगण लल्लन

समस्त निवासीगण ग्राम–मिश्राईनपुर, थाना–दुर्गागंज, जनपद–भदोही। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–126 सन् 2025
धारा–115(2), 352, 351(3), 324 (2), 117(2)भारतीय न्याय संहिता।
<u>थाना–दुर्गागंज, जनपद–भदोही।</u>

<u>आदेश</u>

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण संदीप कुमार एवं संतोष कुमार गुप्ता की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–126 सन् 2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 324(2), 117(2)भारतीय न्याय संहिता, थाना–दुर्गागंज, जनपद–भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा मूलचन्द पाल ने दिनांक 29.09.2025 को समय 7.18 बजे थाना दुर्गागंज पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि वह ग्राम भानीपुर थाना–दुर्गागंज जनपद भदोही का मूल निवासी है। वाहन संख्या–UP66 AT 6267 ई रिक्शा (टोटो) का पंजीकृत स्वामी है और वह दिनांक 28.09.2025 को समय करीब 10.00 बजे रात अपने वाहन से भदोही से सवारी छोड़कर घर वापस आ रहा था कि जैसे ही दुर्गागंज बाजार में पहुंचा कि संदीप कुमार भूज पुत्र लल्लन निवासी ग्राम मिश्राईनपुर आकर उससे कहा कि उसे कुछ खिलाओ पिलाओ उसने जब मना किया तो संदीप उसे गाली देने लगा उसी समय संदीप का भाई संतोष भूज वहाँ आ गया और दोनो लोग मिलकर लात घूसा एवं माँ बहन की गाली देते हुए लात मुक्का थप्पड़, लाठी डण्डे से मारने पीटने लगे। पड़ोसी के बीच बचाव करने पर किसी तरह वह अपनी गाड़ी लेकर घर जाने लगा तो दोनों लोग मिलकर उसकी गाड़ी को पलट दिये और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे तब वह गाड़ी छोड़कर जान बचाकर अपने घर पर आ गया उनके मारने पीटने से उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। अतः उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया। वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के

आधार पर दिनांक 29.09.2025 को थाना दुर्गागंज पर अभियुक्तगण संदीप कुमार भूज व संतोष भूज को नामित करते हुए मुकदमा अपराध संख्या–126 सन् 2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 324(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–117(2)भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आधार अग्रिम जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमे में झूंठा फंसाया गया है। तथाकथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। जिस प्रकार से अभियोजन द्वारा घटना कही जाती है, वैसी कोई घटना नहीं घटी थी और न ही घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी है। वादी मुकदमा ने अपने तहरीर में किसी गवाह का नाम नहीं दिया है। आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल होकर संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्मन जारी किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र जारी है। पुलिस आवेदकगण के परिवार को फर्जी तरीके से दबाव देकर पकड़ने का प्रयास कर रही है। जबकि अभियुक्तगण ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मुकदमा फर्जी तरीके से पुलिस को साजिश में करके अभियुक्तगण के विरुद्ध कायम कराया गया है। असलियत यह है कि घटना के एक दिन पूर्व वादी मुकदमा गाड़ी से गिरा था, जिससे उसे चोटें आयी थी और उसी चोट को डाक्टर से मिलकर फर्जी मेडिकल बनवाया है। जिस स्थान की घटना कही जाती है, वहाँ बहुत से लोगों का घर है, किन्तु वादी मुकदमा द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का नाम नहीं दिया गया है। अभियुक्त दाना भूजने का काम करते हैं और वादी मुकदमा उनकी दुकान से दाना लेकर खाया था, उसी पैसे के लेन देन को लेकर यह फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है। वादी मुकदमा स्वयं शराब पीकर गाड़ी से गिरकर चोटिल हुआ था। अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। पुलिस अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके मारपीट करके बेईज़्ज़त करना चाहती है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप में सात वर्ष से कम के दण्ड का प्रावधान है। अतः अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा मूलचन्द को माँ बहन की गाली देते हुए लात मुक्का थप्पड़, लाठी डण्डे से मारकर चोटें पहुंचाकर उसके द्वारा चलाये जा वाहन संख्या–यू०पी० 66 AT 6267 ई–रिक्शा को पलटकर रिष्टि कारित करके गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी मुकदमा मूलचन्द को माँ बहन की गाली देते हुए लात मुक्का थप्पड़, लाठी डण्डे से मारकर चोटें पहुंचाने तथा वादी मुकदमा द्वारा चलाये जा वाहन संख्या–यू०पी० 66 AT 6267 ई–रिक्शा को पलटकर क्षतिग्रस्त करके रिष्टि कारित करने का आरोप है। विवेचक द्वारा

विवेचना के पश्चात आवेदकगण/अभियुक्तगण को बिना गिरफ्तार किये उनके विरुद्ध धारा–115(2),352,351(3),324(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध में सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। थाने की आख्या के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों में गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त है।

7. तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण संदीप कुमार एवं संतोष कुमार गुप्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करते हुए सम्बन्धित न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को मु0–50,000/–(पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू लेकर उन्हें इस शर्त के साथ दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेगा कि–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण गवाहों को न तो डरायेंगे, धमकायेंगे और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप विरचन, धारा–351 भारतीय नागरिरक सुरक्षा संहिता के बयान तथा निर्णय हेतु नियत दिनांक को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होंगे।

दिनांक–25.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court